न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 95/2022

तारीख दायर-13/04/2022

मुकेश कुमार पुत्र प्यारचन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र नाथूलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी हरजीपूरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. कैलाशचन्द्र पुत्र काशीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. गोपाललाल पुत्र काशीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. शम्भूलाल पुत्र काशीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 13.4.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री** [illegible] **एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 5 पर अंकित आराजी संख्या 7/1 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है** विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाखुर्द को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 5 पर अंकित आराजी संख्या 7/1 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ